



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-12102026-277071
CG-TL-E-12102026-277071

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5353]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 9, 2026/आश्विन 17, 1948

No. 5353]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2026/ASVINA 17, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 8 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5565(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20A की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है), केंद्र सरकार, इस तथ्य से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु, अनुसूची में संलग्न भूमि का संक्षिप्त विवरण, कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी ज़िले के चित्तापुर तालुका के बापू नगर और नालवार गाँव में नालवार स्टेशन यार्ड में कि.मी. 657/2-3 पर स्थित समपार संख्या 232 के स्थान पर सड़क उपरि पुल के निर्माण, अर्थात् एक विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद् द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा घोषित करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में रुचि रखता है, वह इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20D की उप-धारा (1) के अंतर्गत, उपर्युक्त उद्देश्य के लिए उक्त भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सहायक आयुक्त, उप-विभाग, सेडम को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी तथा उसमें आपत्ति के आधार स्पष्ट रूप से अंकित किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सहायक आयुक्त, उप-विभाग, सेडम आपत्ति करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अथवा कानूनी प्रैक्टिशनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर

प्रदान करेगा और सभी ऐसी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् तथा भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली किसी भी अतिरिक्त जाँच के उपरांत, आदेश द्वारा ऐसी आपत्तियों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20(D) की उप-धारा (ii) के अंतर्गत भूमि अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की भूमि योजनाएँ एवं अन्य विवरण उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका अवलोकन कर सकते हैं।

अनुसूची

अधिग्रहण में भूमि का विवरण: कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी ज़िले के चित्तापुर तालुका के बापू नगर और नालवार गाँव में नालवार स्टेशन यार्ड में कि.मी. 657/2-3 पर स्थित समपार संख्या 232 के स्थान पर सड़क उपरि पुल के निर्माण।

क्र.सं .	मंडल का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल एकड़टा में	भूमि का प्रकार (सरकारी / निजी	भूमि की प्रकृति (असिंचित/ सिंचित
1	चित्तापुर	बापू नगर	470	01-20	निजी	असिंचित
2		नालवार	608	02-12	निजी	असिंचित
3		नालवार	614	0-06	निजी	असिंचित
4		नालवार	615	0-01	निजी	असिंचित
5		नालवार	616	0-02	निजी	असिंचित
कुल				04-01		

[फा. सं. RSP/Gazette/20A/LC.No.232/GY-WD/SC]

जे सधर्मा देव राँयल, सीई / सी / आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 8th October, 2026

S.O. 5565(E).— In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for the execution of The Special Railway Project namely, “Construction of Road Over Bridge In lieu of Level Crossing No. 232 at Km.657/2-3 at Nalwar station yard” in Bapu Nagar and Nalwar villages of Chittapur Taluka in Kalaburagi District in the State of Karnataka, hereby declares its intension to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority, namely, Assistant Commissioner, Sub-Division Sedam in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority Assistant Commissioner, Sub-Division Sedam shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may. After hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority for Land Acquisition (CALA) thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority for Land Acquisition under sub section (ii) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority (CALA).

SCHEDULE

Description of Lands in Acquisition: Construction of Road Over Bridge In lieu of Level Crossing No. 232 at Km. 657/2-3 at Nalwar station yard in Bapu Nagar and Nalwar villages of Chittapur Taluka in Kalaburagi District in the State of Karnataka.

Sl.No	Name of Mandal	Name of Village	Survey No	Extent of area in Acres	Type of Land (Govt/Pvt)	Nature of Land (Wet/Dry)
1	Chittapur	Bapu Nagar	470	01-20	Private	Dry
2		Nalwar	608	02-12	Private	Dry
3		Nalwar	614	0-06	Private	Dry
4		Nalwar	615	0-01	Private	Dry
5		Nalwar	616	0-02	Private	Dry
Total				04-01		

[F. No. RSP/Gazette/20A/LC.No.232/GY-WD/SC]

J SADHARMA DEV ROYAL, CE/C/RSP